

फर्द अहकाम  
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर(राज.)

प्रार्थी श्री लव कुमार

बनाम

श्रीमती तकुनाबाई वगैरह

रजिस्टर नम्बर : 212 R.T.Act

पत्रावली संख्या : 30/19 (प्रा.पत्र)

क्रम संख्या	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाये जो जारी की गई ।
	<p>दिनांक : 20.05.2019</p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता श्री पवन सेन द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दस्तावेजात के पेश कर विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना। प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवम दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः विपक्षी सं. 1 के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा नउवा पटवार हल्का चन्देसरा की आ. न. 1778 किता 1 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि में विपक्षी सं. 1 आगामी पेशी दिनांक 28.06.19 तक वादग्रस्त आराजीयात की मौके की यथास्थिति बनाए रखें।</p> <p>विपक्षी सं. 1 को हुक्म ईमतनाई आरजी मजरिया व 2 को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी विपक्षीगण दिनांक 28.06.2019 को पेश हो।</p>	

सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली

28/8/13

पत्रावली पत्र, 12/10/13

प.त. निवासी  
सं. 1 की  
कोर  
मुंबई

उपरोक्त पत्रावली नं. 1 वी भाग में  
मा. 11 दिसंबर 1913 को भेजा है

महल (मा. 11) पत्रावली नं. 11/10/13  
14/10/13 8/10/13

21/10/13

पत्रावली पत्र, 12/10/13

सहायक  
कलेक्टर  
मुंबई

अधीनस्थ अधिकारी जहाँ डा. मा. 11  
तलबी 3 व 3/10/13 को भेजा करने पर तलब  
की गई उक्तान में पत्रावली व मध्य  
मा. 11 शपीका, हो जाने में कुछ दिनों  
कार्यवाही नहीं पाई गई थी तब पर  
ड्राफ्ट करना चाहिए वे मा. 11 जहाँ की  
पहला उनमें अधिकारी डा. 11 की गई  
उक्तान में कोई कार्यवाही नहीं पाई गई  
पत्रावली थी तब पर ड्राफ्ट की  
जली व पत्रावली केंद्र व मुकाल  
होकर जब्त में इस थी

निर्णय मुनाफा 11/10/13



सहायक कलेक्टर  
(SDO) मुंबई